चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दन्त महाविद्यालयों का प्रशासनिक विभाग है। यह विभाग इन महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों का भी प्रबंधन करता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साथ ही महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालय जटिल, गंभीर एवं रेफर किये गये रोगियों के उपचार का महत्वपूर्ण कार्य करते है। राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दन्त महाविद्यालयों से संबंधित प्रकरण भी इस विभाग द्वारा निस्तारित किये जाते हैं। देश के स्वतन्त्र होने के समय राजस्थान में केवल एक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में स्थित था, परन्तु आज राजस्थान में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के 21 चिकित्सा महाविद्यालय एवं 16 दन्त महाविद्यालय स्थित हैं। राज्य में वर्ष 2006 से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चिकित्सा शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय/संस्थान अब इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं परन्तु कुछ निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दन्त महाविद्यालयों द्वारा स्वयं का विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के कारण उनके कॉलेज विश्वविद्यालय स्थापित होने की दिनांक से सम्बद्ध है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरुप निम्न प्रकार हैः–

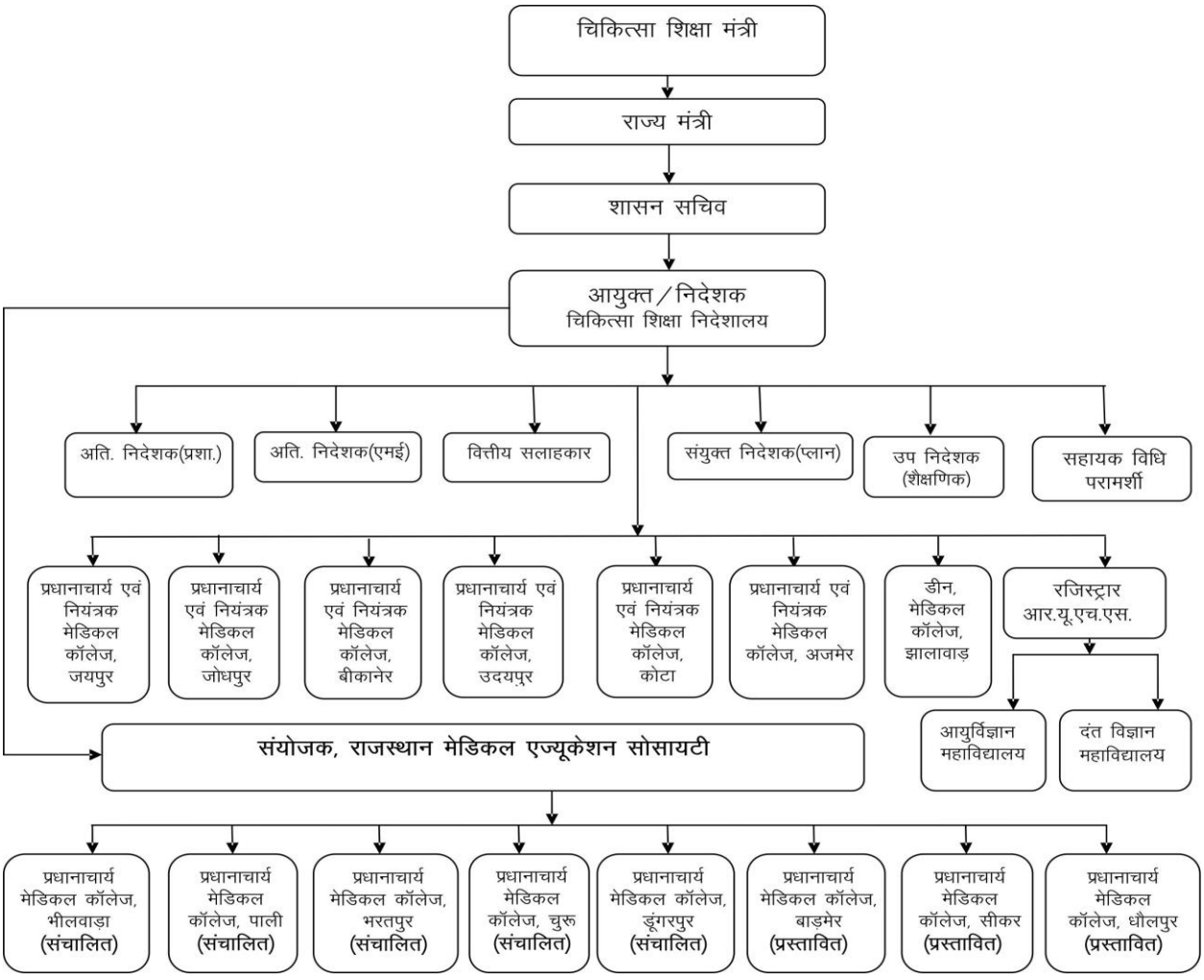

1. राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा दन्त कॉलेजः–

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय क्षेत्र में 6 मेडिकल कॉलेज, 1 राजकीय सोसायटी, 5 राजमेस द्वारा संचालित तथा 1–1 मेडिकल एवं दन्त कॉलेज (राज. स्वा. वि. वि. के संघटक महाविद्यालय) हैं। ये सभी मेडिकल कॉलेज तथा राजकीय दन्त कॉलेज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इन मेडिकल/दन्त महाविद्यालयों में विगत तीन वर्षों की वर्षवार अधिस्नातक–स्नातकोत्तर, सुपर स्पेसियलिटी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों की संख्या एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या इस प्रकार है–

(अ.)पाठ्यक्रमों का विवरण (मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य)

वर्ष 2016–17

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता									
		अजमेर	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	उदयपुर	आर.यू. एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स, जयपुर	झालावाड़	योग	आर.यू.एच. एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साइन्स, जयपुर
1.	एम.बी.बी.एस.	150	250	250	250	150	150	100	150	**1450**	40
2.	पी.जी.(एम.डी.)	59	68	155	79	52	69	–	24	**506**	–
3.	पी.जी.(एम.एस.)	36	31	93	32	23	40	–	08	**263**	–
4.	पी.जी. (डेन्टल)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14
5.	पी.जी. (डिप्लोमा)	–	12	36	–	–	12	–	–	**60**	–
6.	डी.एम.	02	02	27	05	02	02	–	–	**40**	–
7.	एम.सी.एच.	–	02	44	03	–	04	–	–	**53**	–
8.	एम.एस.सी. (मेडिकल)	11	12	05	09	–	02	10	08	**57**	–
9.	बी.एस.सी. (नर्सिंग)	60	100	100	40	100	50	–	–	**450**	–
10.	एम.एस.सी. (नर्सिंग)	–	20	25	20	20	15	–	–	**100**	–
11.	पैरामेडिकल	110	20	146	60	40	10	–	–	**386**	–
योग		**428**	**517**	**881**	**498**	**387**	**354**	**110**	**190**	**3365**	**54**

राज्य के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों में मेडिकल स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा की कुल 829 एवं सुपरस्पेशियलिटी की 93 सीटें है तथा डेन्टल में स्नातकोत्तर की कुल 14 सीटें है।

(ब.) पाठ्यक्रमों का विवरण (मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य)

वर्ष 2017–18

क्र. सं.	पाठ्यक्रम		प्रवेश क्षमता								
		अजमेर	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	उदयपुर	आर.यू. एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स, जयपुर	झालावाड़	योग	आर.यू. एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साइन्स, जयपुर
1.	एम.बी.बी.एस.	150	250	250	250	150	150	100	150	**1450**	40 (BDS)
2.	पी.जी.(एम.डी.)	72	87	249	91	69	71	—	53	**692**	—
3.	पी.जी.(एम.एस.)	40	43	124	50	28	40	—	24	**349**	—
4.	पी.जी. (डेन्टल) MDS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
5.	पी.जी. (डिप्लोमा)	—	12	42	—	—	12	—	—	**66**	—
6.	डी.एम.	02	02	27	05	04	02	—	—	**42**	—
7.	एम.सी.एच.	—	02	44	05	—	04	—	—	**55**	—
8.	एम.एस.सी. (मेडिकल)	11	12	05	09	—	02	10	08	**57**	—
9.	बी.एस.सी. (नर्सिंग)	60	100	100	40	100	50	—	100 (पीपीपी मोड)	**550**	—
10.	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग)	—	—	25	20	—	—	—	—	**45**	—
11.	एम.एस.सी. (नर्सिंग)	15	25	25	20	20	15	—	—	**120**	—
12.	पैरामेडिकल	110	80	146	60	40	50	30	30	**546**	—
योग		**460**	**613**	**1037**	**550**	**411**	**396**	**140**	**365**	**3972**	**62**

राज्य के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों में मेडिकल स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा की कुल 1107 एवं सुपरस्पेशियलिटी की 97 सीटें है तथा डेन्टल में स्नातकोत्तर की कुल 22 सीटें है।

(स.) 1. पाठ्यक्रमों का विवरण (मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य)

वर्ष 2018–19

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता									
		अजमेर	बीकानेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	उदयपुर	आर.यू. एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स, जयपुर	झालावाड़	योग	आर.यू. एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साइन्स, जयपुर
1.	एम.बी.बी.एस.	150	250	250	250	150	150	100	150	**1450**	40 (BDS)
2.	पी.जी.(एम.डी.)	79	87	266	91	69	71	—	66	**729**	—
3.	पी.जी.(एम.एस.)	40	43	118	50	28	40	—	24	**343**	—
4.	पी.जी. (डेन्टल) MDS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
5.	पी.जी. (डिप्लोमा)	—	12	36	—	—	12	—	—	**60**	—
6.	डी.एम.	02	02	32	05	04	02	—	—	**47**	—
7.	एम.सी.एच.	—	02	46	05	02	04	—	—	**59**	—
8.	एम.एस.सी. (मेडिकल)	11	12	05	09	—	02	10	08	**57**	—
9.	बी.एस.सी. (नर्सिंग)	60	100	100	40	100	50	—	100 (पीपीपी मोड)	**550**	—
10.	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग)	—	—	25	20	—	—	—	—	**45**	—
11.	एम.एस.सी. (नर्सिंग)	15	25	25	20	20	15	—	—	**120**	—
12.	पैरामेडिकल	110	80	146	60	40	50	120	30	**636**	—
योग		**467**	**613**	**1049**	**550**	**413**	**396**	**230**	**378**	**4096**	**62**

राज्य के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों में मेडिकल स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा की कुल 1132 एवं सुपरस्पेशियलिटी की 106 सीटें है तथा डेन्टल में स्नातकोत्तर की कुल 22 सीटें है।

न्यू मेडिकल कॉलेज(राजमेस)

न्यू मेडिकल कॉलेज(राजमेस) के अधीन 5 नवीन मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ।

(स.) 2. पाठ्यक्रमों का विवरण (मेडिकल, डेन्टल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य)

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता					
		भरतपुर	भीलवाडा	चूरू	डूंगरपुर	पाली	योग
1.	एम.बी.बी.एस.	100	100	100	100	100	500
योग		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**

(द.) चिकित्सा महाविद्यालयों से सबंद्ध संलग्न चिकित्सालयों में विगत तीन वर्षों की वर्षवार शैय्याओं की सूचनाः–

क्र.सं.	नाम कॉलेज	संलग्न चिकित्सालय					
		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19	
		संख्या	शैय्यायें	संख्या	शैय्यायें	संख्या	शैय्यायें
1.	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	12	5584	12	5422	12	5532
2.	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	10	2929	10	3124	10	3138
3.	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	6	2186	6	2286	7	2286
4.	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	5	2088	6	2204	6	2240
5.	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	3	1378	3	1378	3	1428
6.	मेडिकल कॉलेज, कोटा	4	1381	4	1381	5	1687
7.	मेडिकल कॉलेज, झालावाड	2	639	2	797	2	865
8.	आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साईन्स, जयपुर (राज. स्वा. वि. वि. का संघटक महाविद्यालय)	1	402	1	501	1	512
9.	न्यू मेडिकल कॉलेज (राजमेस)						
	1. भरतपुर	–	–	–	–	1	525
	2. भीलवाड़ा	–	–	–	–	1	443
	3. चूरू	–	–	–	–	1	300
	4. डूंगरपुर	–	–	–	–	1	285
	5. पाली	–	–	–	–	1	304
	योग	**43**	**16587**	**44**	**17093**	**51**	**19545**
10.	आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्स, जयपुर (राज. स्वा. वि. वि. का संघटक महाविद्यालय)	1	40	1	40	1	40
महायोग		**44**	**16627**	**45**	**17133**	**52**	**19585**

उपरोक्त समस्त महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित है। मेडिकल कॉलेज, जयपुर में सभी सुपर स्पेशियलिटी विषयों में डी.एम./एम.सीएच. पाठ्यक्रम तथा मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में कार्डियोलोजी विशिष्टता में डी.एम. पाठ्यक्रम एवं मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में डी.एम. (Cardiology) एवं Mch (Urology) पाठ्यक्रम संचालित है। डी.एम./एम.सी.एच. पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता 106 छात्रों की है।

इन मेडिकल/दन्त कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम कॉलेज	सम्बद्ध अस्पताल
1.	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	1. सवाई मानसिंह चिकित्सालय 2. जनाना चिकित्सालय 3. महिला चिकित्सालय 4. क्षय एवं वक्ष रोग चिकित्सालय 5. सर पद्मपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान 6. मनोचिकित्सा केन्द्र 7. संक्रामक रोग चिकित्सालय 8. गणगौरी अस्पताल 9. पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र (आर.आर.सी.) 10.सेठी कॉलोनी सैटेलाईट अस्पताल 11. बनीपार्क सैटेलाईट अस्पताल 12. कॉवटिया अस्पताल
2.	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	1. महात्मा गांधी चिकित्सालय 2. कमला नेहरू वक्ष चिकित्सालय एवं संक्रामक रोग चिकित्सालय 3. उम्मेद चिकित्सालय 4. मथुरादास माथुर चिकित्सालय 5. मानसिक रोग चिकित्सालय 6. शिवराम नत्थुराम टांक चिकित्सालय मण्डोर 7. पावटा चिकित्सालय 8. महिलाबाग चिकित्सालय 9. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड चिकित्सालय 10. प्रताप नगर चिकित्सालय
3.	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1. महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय 2. पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय 3. सेठ रामविलास भुवालका यक्ष्मा आरोग्य सदन बडी, उदयपुर 4. पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र 5. श्री खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाईट अस्पताल 6. सुन्दर सिंह भण्डारी सैटेलाईट अस्पताल 7. चांदपोल अस्पताल, उदयपुर

4.	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1. पी.बी.एम. मर्दाना चिकित्सालय 2. पी.बी.एम. जनाना चिकित्सालय 3. जी.जी.जे.क्षय एवं वक्ष रोग चिकित्सालय 4. मानसिक रोग चिकित्सालय 5. गंगाशहर सैटेलाईट अस्पताल 6. जिला अस्पताल बीकानेर
5.	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	1. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय 2. राजकीय महिला चिकित्सालय 3. आदर्श नगर सैटेलाईट अस्पताल
6.	मेडिकल कॉलेज, कोटा	1. महाराव भीमसिंह चिकित्सालय 2. जे.के. लोन चिकित्सालय 3. न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय 4. जिला चिकित्सालय रामपुरा कोटा 5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्तानपुरा
7.	मेडिकल कॉलेज, झालावाड	1. श्री राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय 2. महिला चिकित्सालय
8.	आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साईन्स, जयपुर (राज. स्वा. वि. वि. का संघटक महाविद्यालय)	1. जयपुरिया चिकित्सालय
9.	न्यू मेडिकल कॉलेज (राजमेस)	
	1. भरतपुर	1. राज बहादूर मेमोरियल अस्पताल
	2. भीलवाड़ा	1. महात्मा गांधी अस्पताल
	3. चूरू	1. डी.बी. अस्पताल
	4. डूंगरपुर	1. श्री हरदेव जोशी अस्पताल
	5. पाली	1. राजकीय बांगड अस्पताल
10.	आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्स, जयपुर (राज. स्वा. वि. वि. का संघटक महाविद्यालय)	1. राजकीय दन्त अस्पताल, जयपुर

2. निजी मेडिकल कॉलेज तथा दन्त कॉलेजः–

राज्य के निजी क्षेत्र में वर्तमान में 8 मेडिकल कॉलेज तथा 15 दन्त कॉलेज संचालित है, जिनमें अधिस्नातक पाठ्यक्रम में क्रमशः एम.बी.बी.एस की 1150 एवं बी.डी.एस. 1410 तथा विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों का अध्यापन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एंव भारतीय दन्त परिषद नई दिल्ली की अनुमति से अध्यापन कराया जा रहा है। निम्स मेडिकल कॉलेज, जयपुर, निम्स विश्वविद्यालय से, पेसीफीक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, पेसीफीक विश्वविद्यालय से, पेसीफीक इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेस, सांई यूनिवर्सिटी, उदयपुर से, अमेरिकन इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से अनन्ता इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर राजसमन्द उदयपुर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से तथा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट फोर मेडिकल साईन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर जयपुर, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से, गीताजंली मेडिकल कॉलेज, उदयपुर गीताजंली यूनिवर्सिटी, उदयपुर से एवं जयपुर दन्त कॉलेज, जयपुर महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर से पेसिफिक दन्त कॉलेज उदयपुर, पेसिफिक विश्वविद्यालय से इनके स्थापन की दिनांक से तथा राज्य के शेष दंत कॉलेज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध हैं। राज्य के निजी क्षेत्र के चिकित्सा एवं दन्त महाविद्यालयों की विगत दो वर्षों की प्रवेश क्षमता निम्नानुसार हैः–

निजी मेडिकल कॉलेज

क्र. सं.	नाम कॉलेज	स्वीकृत प्रवेश क्षमता							
		वर्ष 2017–18				वर्ष 2018–19			
		यू.जी.	पी. जी.	सुपर स्पेशियलिटी		यू.जी.	पी.जी.	सुपर स्पेशियलिटी	
				डी.एम.	एम.सी. एच.			डी. एम.	एम.सी. एच.
1.	महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल, जयपुर	150	76	3	4	150	98	3	4
2.	निम्स मेडिकल कॉलेज, जयपुर	100	40	2	1	100	42	2	1
3.	गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल, उदयपुर	150	81	0	0	150	105	2	0
4.	पेसिफिक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	150	0	0	0	150	0	0	0
5.	पेसिफिक इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेस, उदयपुर	150	0	0	0	150	0	0	0
6.	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर जयपुर	150	0	0	0	150	0	0	0

7.	अनन्ता इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर राजसमन्द उदयपुर	150	0	0	0	150	0	0	0
8.	अमेरिकन इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	150	0	0	0	150	0	0	0
योग		**1150**	**197**	**5**	**5**	**1150**	**245**	**7**	**5**

निजी दन्त कॉलेज

क्र. सं.	नाम कॉलेज	स्वीकृत प्रवेश क्षमता			
		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19	
		बी.डी.एस.	एम.डी.एस.	बी.डी.एस.	एम.डी.एस.
1.	दर्शन दन्त कॉलेज, उदयपुर	100	30	100	30
2.	पेसीफिक दन्त कॉलेज, भीलों का बदेला, उदयपुर	100	0	100	0
3.	जयपुर दन्त कॉलेज, जयपुर	100	44	100	44
4.	महात्मा गांधी दन्त कॉलेज एण्ड अस्पताल, जयपुर	60	31	60	31
5.	सुरेन्द्र डेन्टल कॉलेज एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट, श्रीगंगानगर	100	27	100	27
6.	राजस्थान डेन्टल कॉलेज, जयपुर	100	27	100	27
7.	जोधपुर डेन्टल कॉलेज, जोधपुर	100	0	100	0
8.	एकलव्य डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, कोटपूतली (जयपुर)	100	00	100	00
9.	व्यास डेन्टल कॉलेज, जोधपुर	100	27	100	27
10.	निम्स डेन्टल कॉलेज, जयपुर	100	23	100	23
11.	दासवानी डेन्टल कॉलेज, कोटा	100	20	100	20
12.	महाराजा गंगासिंह डेन्टल कॉलेज, गंगानगर	100	18	100	18
13.	आर. आर. डेण्टल कालेज, उदयपुर	50	00	50	00
14.	गीतांजली डेन्टल कॉलेज, उदयपुर	100	00	100	00
15.	पेसीफिक दन्त कॉलेज, एयरपोर्ट रोड देबारी, उदयपुर	100	47	100	47
योग		**1410**	**294**	**1410**	**294**

नोटः–वार्षिक प्रवेश क्षमता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् एवं भारतीय दन्त परिषद् के निरीक्षण के आधार पर निर्भर रहती है।

3. राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक विभागों में स्वीकृत पदों की स्थितिः–

राजकीय चिकित्सा/दन्त महाविद्यालयों में विषयवार एवं पद वार संकाय सदस्यों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	विभाग का नाम	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	वरिष्ठ प्रदर्शक
		स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत
1.	एनाटोमी	7	18	23	32
2.	बायोकेमेस्ट्री	9	12	41	77
3.	फिजियोलोजी	8	16	21	30
4.	माइक्रोबायोलोजी	7	16	37	79
5.	फार्माकोलोजी	10	15	20	30
6.	पैथोलोजी	16	32	81	154
7.	फॉरेन्सिक मेडिसिन	7	12	17	34
8.	पी एण्ड एस.एम.	10	16	26	30
9.	जनरल मेडिसिन	43	45	71	0
10.	जनरल सर्जरी	31	40	75	0
11.	स्त्री एवं प्रसूति रोग	26	56	78	0
12.	ई.एन.टी.	11	14	17	1
13.	चर्म एवं रति रोग	12	9	14	0
14.	निश्चेतन	31	53	61	0
15.	मनोचिकित्सा	10	15	12	0
16.	वक्ष एवं क्षय रोग	15	12	21	0
17.	अस्थि रोग	18	30	36	0
18.	रेडियोडायग्नोसिस	11	18	65	1
19.	रेडियोथेरेपी	9	10	11	0
20.	शिशु औषध	30	27	60	0
21.	दन्त	5	6	8	4
22.	गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	6	5	13	0
23.	न्यूरोलोजी	7	5	10	0
24.	न्यूरोसर्जरी	8	12	21	0
25.	यूरोलोजी	6	8	9	0
26.	प्लास्टिक सर्जरी	2	5	6	0

क्र. सं.	विभाग का नाम	आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	वरिष्ठ प्रदर्शक
		स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत
27.	कार्डियोलोजी	10	10	17	0
28.	सीटी सर्जरी	6	6	19	0
29.	शिशु शल्य	5	7	10	0
30.	एन्ड्रोक्रायोनोलोजी	1	2	3	0
31.	रेडियोलोजिकल फिजिक्स	2	1	8	4
32.	ऑफथल्मोलोजी	12	12	27	0
33.	फिजिकल मेडिसिन	4	6	12	2
34.	नेफ्रोलोजी	2	3	10	0
35.	शिशु न्यूरोलोजी	0	0	1	0
36.	शिशु नेफ्रोलोजी	0	0	1	0
37.	शिशु कार्डियोलोजी	0	0	1	0
38.	शिशु गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	0	0	1	0
39.	सर्जीकल गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	0	0	2	0
40.	शिशु पल्मोनोलोजी	0	0	1	0
41.	शिशु नवजात	0	0	2	0
42.	मेडिकल ऑन्कोलोजी	1	1	5	0
43.	सर्जिकल ओंकोलोजी	1	1	3	0
44.	बायोफिजिक्स	1	0	4	1
45.	इमरजेन्सि मेडिसन	9	9	17	0
46.	जेरियाट्रिक मेडिसन	6	6	7	0
47.	न्यूक्लियर मेडिसन	0	0	1	0
48.	फार्मेसी	0	1	1	0
योग		**415**	**572**	**1007**	**479**

4. नियुक्ति एवं पदोन्नतिः–

वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक चिकित्सक शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न विशिष्ठताओं में सहायक आचार्यों के कुल 137 व वरिष्ठ प्रदर्शकों के 93 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रेषित की गई।

वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में **सहायक आचार्य के कुल 7 पदों व वरिष्ठ प्रदर्शक के कुल 23 पदों** पर नियुक्ति प्रदान की गई। **इस प्रकार सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शकों के कुल 30 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई।**

वर्ष 2018–19 में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कुल 68 वरिष्ठ प्रदर्शकों को सहायक आचार्य के पद पर व डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत कुल 86 चिकित्सक शिक्षकों को उच्च पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई।

5. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियाँः–

1. सीनियर रेजिडेन्ट, एम.एस./एम.डी., डी.एम./एम.सीएच. तथा पी.जी. डिप्लोमा के Stipend में 1 हजार रूपये मासिक की बढ़ोतरी की गई।
2. चिकित्सकों की कमी दूर करने व जिला स्तर पर उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के लिए भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर, पाली तथा भीलवाड़ा में सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु लेटर ऑफ परमिशन भारत सरकार से प्राप्त। इन नये चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ कर दिया गया है। इनमें कुल 500 सीटे है।
3. प्रदेश में विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में 25 पी.जी. सीटों में वृद्धि।
4. महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा में शैय्याओं की संख्या 474 से बढ़ाकर 740 कर दी गई है।
5. राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालयों में गुणात्मक प्रतिस्पर्धा लाए जाने हेतु इनकी Ranking कर वेब साईट पर अपलोड कर दी गई है।
6. ट्रोमा अस्पताल और एस.एम.एस. हॉस्पीटल के मध्य सबवे का निर्माण कार्य पूर्ण कर लोकार्पण किया जा चुका है।
7. सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में 10 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक नवीन कैथ लैब की स्थापना की जाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
8. पैरा मेडिकल संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण एवं नवनिर्मित भवन का दिनांक 27.06.2018 को लोकार्पण किया गया।

6. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापनाः–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट भाषण वर्ष 2011–12 की बिन्दु संख्या 58 की क्रियान्विति के क्रम में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंध हेतु चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जा चुकी है। मनो चिकित्सा केंन्द्र, जयपुर के सामने वाली राजकीय भूमि पर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय स्थापित हो गया है।

7. निजी मेडिकल /दंत कॉलेजों हेतु शुल्क निर्धारण समिति एवं प्रवेश पर निगरानी समिति का गठनः–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 350/93 इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14–8–2003 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा याचिका सं. 4862/03 विपुल गर्ग बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26–08–2003 की पालना में

निजी मेडिकल/दन्त कॉलेज के लिए शुल्क हेतु शुल्क निर्धारण समिति तथा प्रवेश बाबत स्थाई समिति (प्रवेश पर निगरानी) के गठन के निर्देश दिये थे जिनकी अनुपालना में निम्न समितियों का गठन किया गया।

7.1 शुल्क रेगुलेटरी कमेटी :–

जस्टिस एस.एन. भार्गव, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में शुल्क रेगुलेटरी कमेटी का गठन सन् 2003 में किया गया था। यह समिति निजी मेडिकल/दन्त कॉलेजो का शुल्क निर्धारण का कार्य करती है। साथ ही शुल्क संबंधी शिकायतों का निवारण का कार्य भी करती है। निजी मेडिकल/दन्त कॉलेजो के एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. तथा एम.डी./एम.एस. तथा एम.डी.एस. (दन्त) पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु समय–समय पर बैठके आयोजित की गई। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नांकित शुल्क निर्धारित किया गया :–

एम.बी.बी.एस.(अमेरिकन इन्टरनेशन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेस, उदयपुर एवं अनन्ता इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांईन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर, राजसमन्द, उदयपुर)	12.00 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
बी.डी.एस.	02.75 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
एम.डी.एस. (क्लिनिकल)	06.50 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
एम.डी.एस. (नॉन क्लिनिकल)	05.50 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
जी.एन.एम.	50 हजार (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
बी.एस.सी. (नर्सिंग)	70 हजार (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
एम.बी.बी.एस.(झालावाड मेडिकल कॉलेज प्राईवेट सीट)	5.00 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
एम.बी.बी.एस.(पैसेफिक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर)	7.50 लाख (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
एम.फार्मा (निजी कॉलेज)	90 हजार (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
बी.फार्मा (निजी कॉलेज)	70 हजार (प्रति वर्ष प्रति छात्र)
डी.फार्मा (निजी कॉलेज)	45 हजार (प्रति वर्ष प्रति छात्र)

7.2 राजमेस द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज (भरतपुर, चुरू, पाली, डूंगरपुर, भीलवाड़ा) की एम.बी.बी.एस. सीटों हेतु राज्य स्तरीय सक्षम शुल्क निर्धारण कमेटी द्वारा निर्धारित ट्यूशन फीस :–

35 % सीट पर	रू. 7.50 लाख (प्रतिवर्ष प्रति छात्र)
15 % एन.आर.आई. सीट पर	US $ 1,00,000 (पूर्ण कोर्स प्रति छात्र)
शेष 50 % सीट पर	रू. 50,000 (प्रतिवर्ष प्रति छात्र)

उक्त फीस में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की बढोत्तरी की जावेगी।

7.3 प्रवेश पर निगरानी समिति :–

इस समिति का गठन जस्टिस आई. एस. इसरानी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति द्वारा निजी मेडिकल/दन्त कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश दिये जाने बाबत् प्रवेश परीक्षा का आयोजन किसी विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाना प्रवेश के संबंध में दिशा–निर्देश जारी करना इत्यादि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

8. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुरः–

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर का गठन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम–2005 के तहत चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता तथा समरूपता लाने के उद्देश्य से किया गया था। विश्वविद्यालय ने दिनांक 01–04–2006 से कार्य प्रारम्भ किया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं राजकीय दंत महाविद्यालय, जयपुर को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय बनाया गया है।

विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम को लगातार संशोधित एवं उन्नयन करने के लिए तथा कई विभागों एवं विषयों में सामन्जस्य के साथ अनुसंधान को प्रोत्साहित कर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान से विशिष्ठता एवं गुणवता के लिए प्रयत्नशील है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरुप निम्न प्रकार हैः–